प्रेस नोट ***23/04/2025***

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष साधारण कारावास व ₹25,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 22-04-2025 को मु0अ0सं0 1047/2015, धारा 409 भादवि थाना सरायलखन्सी में दोषसिद्ध अभियुक्तगण गजेन्द्र प्रताप पुत्र उदय प्रताप सिंह निवासी थाना सरायलखसी, विनीता पाण्डेय पत्नी राजेश निवासी उमापुर सरायलखंसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष साधारण कारावास की सजा एवं ₹25,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सिद्धार्थ थाना सरायलखन्सी का सराहनीय योगदान रहा।

जिलाबदर घोषित अपराधी किया गया जिले से बाहर–

अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा श्रीमान् जिलामजिस्ट्रेट महोदय के आदेश वाद संख्या 2349/2024 सरकार बनाम संतोष राजभर पुत्र हरिविलास राजभर निवासी सुल्तानपुर कोलौरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के विरूद्ध 04 माह जिलाबदर आदेश के अनुपालन में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए जनपद मऊ की सीमा के बाहर किया गया।

अपराधी का अपराधिक इतिहास निम्न हैं-

1. मु0अ0सं0 86/2025 धारा 115(2), 3(5), 351(2), 352 बीएनएस थाना मु0बाद गोहना मऊ।
2. मु0अ0सं0 90/2024 धारा 323/504/506 भा0द0वि थाना मु0बाद गोहना मऊ।
3. मु0अ0सं0 311/2022 धारा 323/504/506 भा0द0वि थाना मु0बाद गोहना मऊ।
4. मु0अ0सं0 669/2021 धारा 323/504/506 भा0द0वि थाना मु0बाद गोहना मऊ।

दिनांक 14.04.2025 को थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत दुर्गा माता मंदिर से चोरी करने व चोरी का सामान खरीदने से संबंधित 02 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की नथिया, बिन्दिया (पीली धातु) व दो अदद पीतल का घण्टा बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोपागंज पुलिस/सर्विलांस/स्वाट टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 23.04.2025 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बहदग्राम अदरी रेलवे लाईन

तिराहे के पास से मु0अ0सं0 108/25 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित वीडियों फुटेज के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त बेचू राजभर पुतर रामकिशोर राजभर निवासी बीबीपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ की निशानदेही पर चोरी का सामान क्रय करने वाले बर्तन के दुकानदार महेश ठठेरा पुत्र स्व0 रामआधार निवासी भलुईडीह थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक अदद नाक की नथिया, एक अदद माथे की बिन्दी टुटी हुयी दो टुकडो में पीली धातु व दो अदद पीतल का घण्टा बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है किं दिनांक 14.04.2025 को थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत इंदारा में दुर्गा माता मंदिर में चोरी की गयी थी। इस संबंध में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. बेचू राजभर पुतर रामकिशोर राजभर निवासी बीबीपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ। (शातिर चोर)
2. महेश ठठेरा पुत्र स्व0 रामआधार निवासी भलुईडीह थाना कोपागंज जनपद मऊ। (क्रय करने वाला दुकानदार)

संबंधित अभियोग–

1. मु0अ0सं0 108/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. चोरी की एक अदद नाक की नथिया, एक अदद माथे की बिन्दी टुटी हुयी दो टुकडो में पीली धातु व दो अदद पीतल का घण्टा।

आपराधिक इतिहास बेचू राजभर-

1. मु0अ0सं0 1253/16 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह थाना कोपागंज
3. हे0का राकेश यादव (सर्विलांस)
4. हे0का0 सुशील यादव(स्वाट टीम)
5. का0 अश्वनी कुमार गोंड(सर्विलांस)
6. का0 अविनाशधर दूबे(स्वाट टीम)
7. का0 अनुदेशदत्त बनौधा(स्वाट टीम)
8. का0 विराट पटेल(स्वाट टीम)
9. का0 लव कुमार चौधरी थाना कोपागंज
10. का0 प्रज्जवल ओझा थाना कोपागंज
11. का0 आशीष सिंह थाना कोपागंज

12. का0 बाल गोविन्द पाल थाना कोपागंज जनपद मऊ।

थाना सरायलखन्सी क्षेत्रान्तर्गत बड़ी रस्तीपुर में बालू रखने के विवाद को लेकर मारपीट में गम्भीर रूप से घायल 02 लोगो की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने पर घटना में शामिल 01 बाल अपचारी अभिरक्षा में व 05 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त (02 अदद बांस के डण्डे) आलाकत्ल बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.04.2025 को थाना सरायलखन्सी पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर हथिनी मोड़ के पास से मु0अ0सं0 167/25 धारा 3(5), 191(2), 191(3), 110, 105, 115(2), 117(2), 352, 351(2) बीएनएस थाना सरायलखन्सी से संबंधित 01 बाल अपचारी अभिरक्षा में व 05 वांछित अभियुक्तगण दुर्गविजय भारती, भोला प्रसाद गौतम, राजविजय भारती पुत्रगण स्व0 श्यामदेव राम, रंजीत कुमार पुत्र भोला प्रसाद गौतम , कु0 रंजना पुत्री भोला प्रसाद गौतम निवासीगण बड़ी रस्तीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया । तथा उनकी निशानदेही पर 02 अदद आलाकत्ल (बांस के 02 डण्डे) बरामद किया गया ।

उल्लेखनीय है किं दिनांक 21.04.2025 को थाना सरायलखन्सी क्षेत्रान्तर्गत बड़ी रस्तीपुर में बालू रखने की बात के विवाद के दौरान मारपीट होने के कारण जिसमें 02 लोग (सोचन पुत्र स्व0 रघुवर राम व चन्द्रज्योति पत्नी स्व0 सोचन निवासी बड़ी रस्तीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ) गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। जिसके तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था तथा मुकदमे से संबंधित मजरूब सोचन व मजरूबा चन्द्रज्योति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके मद्देनजर पुलिस टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर दिनांक 23.04.2025 को अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगणों से कडाई से पुछताछ पर बताया किं बालू रखने की बात इतनी बढ़ गयी थी किं हम लोगो को गुस्सा आ गया इसी के बीच हम लोगो ने बास के डण्डे से पडोस के ही सोचन व चन्द्रज्योति व अन्य लोगो को मारपीट कर घायल कर दिया था। जिसमें सोचन व चन्द्रज्योति को ज्यादा चोट लग जाने से अस्पताल में इलाज के दौरान उन दोनो की मृत्यु हो गयी । इस संबंध में 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा गिरफ्तार 05 अभियुक्तगण को चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. दुर्गविजय भारती पुत्र स्व0 श्यामदेव राम निवासी बड़ी रस्तीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ ।
2. भोला प्रसाद गौतम पुत्र स्व0 श्यामदेव राम निवासी बड़ी रस्तीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
3. राजविजय भारती पुत्र स्व0 श्यामदेव राम निवासी बड़ी रस्तीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
4. रंजीत कुमार पुत्र भोला प्रसाद गौतम निवासी बड़ी रस्तीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
5. कु0 रंजना पुत्री भोला प्रसाद गौतम निवासी बड़ी रस्तीपुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
6. एक बाल अपचारी अभिरक्षा में ।

बरामदगी–

1. 02 अदद बांस के डण्डे आलाकत्ल।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

1. उ0नि0 केशर यादव
2. उ0नि0 रमन कुमार मिश्र
3. हे0का0 शैलेष सिंह
4. का0 संजीव सिंह
5. का0 जंगबहादुर वर्मा
6. का0 मौर्या दीपक कुमार
7. म0का0 उत्तम मिश्रा
8. म0का0 रीना यादव थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

गुमशुदा/खोए कुल 03 मोबाइल फोन लगभग 73,400 (तिहत्तर हजार चार सौ) रुपये कीमती बरामद कर उनके स्वामियों को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायलखन्सी व थाना रामपुर साइबर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज गुमशुदगी को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल धारको का थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम द्वारा थाना सरायलखन्सी गुमशुदा 03 मोबाइलों लगभग 73,400 (तिहत्तर हजार चार सौ) रुपये कीमती को बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। जिसमें विनोद कुमार पुत्र बैजनाथ निवासी रामगढ़ थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर, नेहा मौर्या पुत्री अशोक चन्द्र मौर्या निवासी कहिनौर थाना सरायसखन्सी, अनमोल कुमार पुत्र रामजन्म निवासी नियामूपुर अदरी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ। आवेदको द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश सिंह थाना सरायलखन्सी, निरीक्षक अपराध श्री हरेन्द्र सिंह, उ0नि0 नयन कुमार बर्नवाल, म0उ0नि0 अंशी शुक्ला क0आ0 आशीष द्विवेदी, आरक्षी धीरज कुमार, म0आ0 शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।